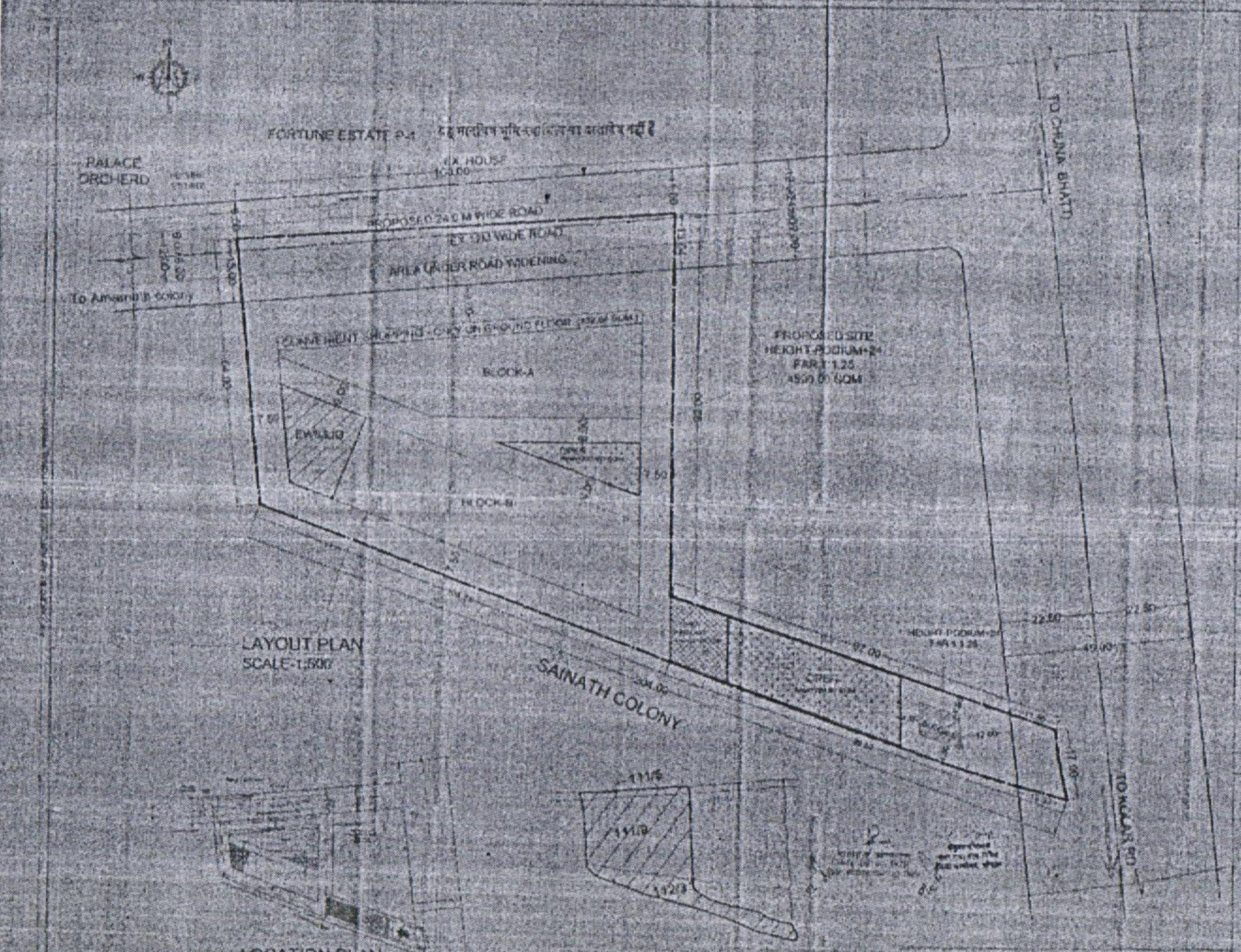

SCHEDULE OF OWNERSHIP

S.NO	KH.NO.	AREA HECT	NAME OF OWNER
[illegible]	111/6	0.680	M/S SARVDHARM GRAH NIRMAN SAHKARI SAMITI LTD.
[illegible]	111/3	0.226	
[illegible]	112/3	0.180	
	TOTAL	1.086	

REVISED LAYOUT PLAN OF LOWER INCOME GROUP MULTIUNIT DEVELOPMENT UNDER SEC.(29)3 FOR SARVADHARM GRAH NIRMAN SAHKARI SAMITI MARYADIT BHOPAL PRESIDENT:- FORMARLY PRESIDENT, SHRI RIYAZ KHAN S/O KHUDA BAKSHON KH.NO 111/6, 111/3, 112/3 AT VILLAGE- DAMKHEDA, KOLAR ROAD, TEHSIL- HUZUR, DISTT- BHOPAL

STATEMENT OF AREA

TOTAL LAND AREA	[illegible]
AREA UNDER 24.00 M ROAD	[illegible]
AREA UNDER 12.00 M ROAD	[illegible]
NET PLANNING AREA	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Convenient Shopping (Only on Ground Floor)	[illegible]
Permissible Coverage	30%
Area Under Open & Services	[illegible]

PARKING CALCULATION

REQUIRED PARKING
[illegible]

PARKING PROVIDED
[illegible]

OPEN PARKING [illegible]

SET BACKS OF BUILDING BLOCK

FOR BLOCK-A & B
M.O.S. FRONT-9.00, ALL SIDE-7.50
HEIGHT 24.00 MT.

FOR BLOCK-C
M.O.S. FRONT-12.0, ALL SIDE-4.50
HEIGHT 12.00 MT.

CALCULATION OF INFORMAL SECTOR

TOTAL NO. OF UNITS PROPOSED = [illegible] NOS
EWS & LIG (15% OF [illegible]) = [illegible] NOS
1. EWS [illegible] = [illegible] NOS
2. LIG [illegible] = [illegible] NOS
REQUIRED EWS & LIG BUILT UP AREA = [illegible] SQM

ARCHITECTS & PLANNERS | OWNER'S SIGNATURE

4. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है" की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला भोपाल एवं सीहोर रायसेन म.प्र.

M. K. CHOUDHARY
DIST. BHOPAL (M.P.) INDIA
GOVT. OF INDIA

अध्यक्ष
सुनीता गृह निर्माण सहकारी
संस्था मर्यादित, भोपाल

18 ... 2017
... Kumar Choudhary
ADVOCATE, BHOPAL

Signature valid
Digitally signed by Shivkant Mudga
Date: 2017.0... 47:19 IST

22 MAY 2017

(33)

27. अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना अनिवार्य होगा।

28. संलग्न अभिन्यास में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावें। इसे मान्य नहीं किया जावेगा।

29. स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 X 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा। व इसे स्थल पर ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जावे जो कि आमजन सुगमता से पढ़ सकें।

30. इलेक्ट्रिक लाईन के नीचे स्थित भू–खण्ड मान्य नही होंगे। इन पर भवन अनुज्ञा न दी जावे।

31. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू–स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जायेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।

32. विभिन्न नागरिक सुविधाओ (सर्विसेस) हेतु मानचित्र में जो जगह प्रस्तावित की गई है। उनमें सीवेज ट्रीटमेंट [illegible] ओव्हर हेड टैंक गारबेज डिस्पोजल एवं परिसर का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावें।

33. निर्माणकर्ता की यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी [illegible] का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यो को सम्पन्न [illegible] का उपयोग प्रारंभ करें।

34. भूमि पर विकास कार्य इस प्रकार किया जावे कि भवन के [illegible] [illegible] भवन में बाहरी आवरण एवं अनुचित [illegible] प्रयुक्त की [illegible] [illegible] किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा [illegible] [illegible] निरस्त [illegible] [illegible] निरस्त कर दी जावेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल –सीहोर- रायसेन म.प्र

पृ. क्रमांक BPLLP- 1895 / LP-143/29(3) / न.ग्रा.नि / जि.का / 2008 भोपाल दिनांक– 03 / 02 / 2016
प्रतिलिपि:–

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन [illegible] की ओर प्रकरण क्रमांक–21 / 2013 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ।
2. आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी कालोनी सेल, [illegible] प्रणाली, नगर पालिका निगम भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. उपमहाप्रबंधक / कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण [illegible] लिमिटेड, इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.mptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

ATTESTED
8 SEP 2017
Mahesh Kumar Choudhary
NOTARY/ADVOCATE,BHOPAL

NOTARY
M.K. CHOUDHARY
GOVT. OF INDIA

Signature Valid
Digitally signed by Shivkant Mudga
Date: 2016.02.03

12. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(3) के अनुरूप नेशनल बिल्डिंग कोड भाग–4 में [illegible] अनुशंसा के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कर अग्नि प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपरांत ही [illegible] पत्र जारी किया जाये।

13. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।

14. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।

15. प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

16. भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग 6 मीटर चौडा होगा और उसका अभिन्यास सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जाएगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल (फायर इंजिन) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जाएगी और व मोटर के आने जाने योग्य होना आवश्यक होगी।

17. दमकल (फायर इंजिन.) तक सुगम पहुंच अनुज्ञात करने के लिए भूखण्ड के मुख्य प्रवेश की चौडाई पर्याप्त होगी और जो किसी भी स्थिति में 4.5 मीटर से कम न हो। प्रवेश द्वार फाटक भीतर की ओर की अहाता दीवार के सामने इस प्रकार खुलने चाहिए [illegible] अग्निशमन सेवा यानों के संचालन के लिए भूखण्ड में [illegible] पहुंच मार्ग निर्बाध हो यदि मुख्य प्रवेश [illegible] 3 [illegible] दीवार पर बनाया जाता है [illegible] खुलने वाली जगह 4.5 मीटर रखना होगी।

18. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम [illegible] (3) के प्रावधानों के अनुसार [illegible] आदि [illegible] की प्रक्रिया अपनानी होगी। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत [illegible] के द्वारा दिया जा सकेगा।

19. [illegible] पर एक्स्ट्रा हाईटेंशन [illegible] लाईन (टावर लाईन) से [illegible] 2012 के नियमानुसार निर्धारित दूरी [illegible] रखना होगा। उसके [illegible] निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

20. अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर कार्यालय जिलाध्यक्ष जिला भोपाल मध्यप्रदेश के [illegible] 168 बी–121/12–13 द्वारा प्रदत्त अनापत्ती खसरा क्रमांक– 111 [illegible] क्रमशः 0.680 हेक्टेयर एवं 0.180 हेक्टेयर कुल रकबा 0.860 हेक्टेयर मे से 8506.50 वर्गमीटर पर [illegible] अनुज्ञा प्रदान की जा रही है । खसरा क्रमांक 111/5 पर मौके पर रास्ता निर्मित है । अतः खसरा क्रमांक 111/5 पर मार्ग प्रस्तावित किया गया है । 168/बी–121/12–13 दिनांक 03.01.2013 द्वारा जारी अनापत्ति की समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

21. नियमानुसार बाह्य विकास लागत राशि पर्यवेक्षण फीस संबंधित नगर निगम मे जमा करनी होगी तथा कालोनी का विकास उनके द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों आधार पर पूर्ण करना होगा विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय से भी अनिवार्यतः प्राप्त करना होगा। जो कि अंतिम अनुज्ञा होगी।

22. संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्श/नक्शा में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी।

23. प्रस्तावित अभिन्यास के आस पास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जायें एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।

24. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।

25. जल–मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे।

26. इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें। तथा किसी भी प्रकार का भूमि विवाद होने पर अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by [illegible]
Date: 2017[illegible]

18 SEP 2017

4. मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल।
5. भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल।
6. भू–अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल।
7. नजूल अधिकारी राजधानी परियोजना भोपाल
8. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
9. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल।
10. झील संरक्षण प्राधिकरण भोपाल (बड़ा तालाब एवं छोटे तालाब के जल ग्रहण क्षेत्र में [illegible] विकास की स्थिति में।
11. जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि से विकास हेतु)।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनाये गये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजरर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1988 के नियम 10, 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही विकास कर्ता को अनुमति प्रदान की जाये।

[illegible] विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त [illegible] प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार [illegible] मान्य नहीं होगा।

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम [illegible] के प्रावधानों के अनुसार [illegible] की प्रक्रिया अपनानी होगी। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर [illegible] द्वारा किया जा सकेगा।

[illegible] आवश्यक होगा। तत्पश्चात [illegible] से [illegible] किया जाये। बगैर [illegible] निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक–एफ–5–23/2003/32 भोपाल दिनांक [illegible] अक्टूबर 2005 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेंट इम्पेक्ट्स असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से इस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस लेना अनिवार्य होगा।

आवेदक संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन के आधार पर परियोजना का नाम "सर्वधर्म ई सेक्टर" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनके कोई परिवर्तन मान्य नही होगा।

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा स्थल पर उपरोक्त मान के अनुसार वृक्षारोपण कर दिया हो यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा नगर पालिक निगम एवं सक्षम संस्था द्वारा दी जावें।

Signature valid
Digitally signed by Shivkant Mudgal
Date: [illegible]

अनुमोदित अभिन्यास में उल्लेखित मानक भोपाल विकास योजना, 2005 [illegible] नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुरूप ही रहेंगे।

मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

PHOTOCOPY [illegible] 27 MAY 2017

[illegible] ही की जाना [illegible] अनिवार्य होगा

(30) (28)

---2---

संबंधित संस्था / संबंधित स्थानीय संस्था भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31

3. तथा इस अनुज्ञा की शर्तो एवं अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चत करना एवं बंधनकारी होगा।

4. प्रस्तावित अभिनयास में सामान्य श्रेणी की कुल 360 इकाईयॉ प्रस्तावित है एवं प्रस्तावित कमजोर आय वर्ग के लिये मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 10 (2) अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानुसार ई.डब्ल्यू.एस. हेतु 25 वर्ग मी. की 30 आवासीय इकाईयॉ एवं एल.आई.जी. हेतु 36 वर्ग मी. की 20 आवासीय इकाईयॉ का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में कालोनाईजर नियम 1998 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का [illegible] इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरांत ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये।

5. संस्था व्दारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार [illegible] निम्न घनत्व इकाईयों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी जा रही है इसके अतिरिक्त अन्य इकाईया मान्य नहीं होगी।

6. भूमि के उत्तर एवं पूर्व दिशा स्थित प्रस्तावित मार्ग को मानचित्र मे दर्शाये अनुसार भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोडना आवश्यक होगा।

7. भवन का भूतल निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा।

8. भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम ओ एस रखे जावे। [illegible] (न्यूनतम) मीटर भवन में सामने से 9.00 मीटर, पीछे से 7.5 मीटर (न्यूनतम), दाये [illegible] बहुमंजिला भवन में [illegible] एवं बायें से 7.5 मीटर (न्यूनतम)।

[illegible] एफ.ए.आर 1: 1.25 (एक अनुपात [illegible]) अधिकतम तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार [illegible] भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार भवन की अधिकतम ऊंचाई [illegible]

2012 के अनुसार भवन की [illegible]

(24.0 मीटर) – पोडियम पार्किंग [illegible] वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र की दर से 167 [illegible]

11. पार्किंग :– बहु इकाई आवास हेतु एक ई [illegible] अनुसार पोडियम में 153 तथा खुले [illegible] की व्यवस्था रखना होगा, जो कि मानचित्र में दर्शाये [illegible] पार्किंग के अनुसार किया जावे।

12. भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक–469 / 02 / [illegible] / 16 भोपाल दिनांक [illegible] 2016 द्वारा जारी अनापत्ति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

13. पूर्व स्वीकृत अनुमोदन पत्र क्रमांक–1019 / एलपी / 93 / 29(1) / न.ग्रा.नि / जि.का / 2014 [illegible] दिनांक 16 / 06 / 2014 द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा का मानचित्र स्वयमेव निरस्त [illegible]

14. स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।

15. मार्गो का पूर्ण विकास, विद्युत प्रदाय (स्ट्रीट लाइट), जल प्रदाय ओवर हेड [illegible] मार्गो का [illegible] ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक [illegible] विकास, खुले क्षेत्रों तथा मार्गो [illegible] किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही निर्माण सुविधाओं / अधोसंरचना का विकास नियमानुसार किया जाना अनिवार्य होगा। कार्य प्रारंभ किया जावें।

16. स्थल पर स्थित कलियासोत नदी के किनारे विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 33.00 मीटर चौड खुला क्षेत्र (हरित पट्टी) छोडना आवश्यक होगा।

17. पूर्व में जारी पत्र क्रमांक– 1019 / एलपी / 93 / 29(1) / न.ग्रा.नि / जि.का / 2014 भोपाल, दिनांक 16 / 06 / 2014द्वारा जारी अभिन्यास अनुमोदन पत्र उल्लेखित शर्ते निम्नलिखित यथावत रहेगी। निम्न लिखित अधिनियम / नियम / सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से [illegible] अनुपालन अनिवार्य होगा:–

1. मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959
2. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 [illegible] मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993
3. मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम [illegible]

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Mudga
Date: 2017.08.31 [illegible] 47:59 IST

18 SEP 2017

27 MAR 2018

27

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन, मध्य प्रदेश

कचनार ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी., भोपाल–462016
E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक BPLLP- 1895/LP-93/29(3)/न.ग्रा.नि/जि.का/2012–16 भोपाल,दिनांक– 03/02/2017

प्रति,

सर्वधर्म [illegible] हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी,
12, मालवीय नगर सेन्ट्रल मार्केट द्वितीय तल
भोपाल म.प्र.

विषय ग्राम--दामखेडा (कोलार रोड), तहसील–हूजूर, जिला–भोपाल खसरा क्रमांक– [illegible] 111/9 एवं 112/3 कुल रकबा 1.080 हेक्टेयर भूमि पर बहु इकाई (केवल निम्न [illegible] इकाईयां) आवासीय विकास हेतु विकास अनुज्ञा बावत्।

परियोजना का नाम:– "सर्वधर्म ई सेक्टर"

संदर्भ आपका आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2015 एवं इस कार्यालय का पूर्व अनुमोदन क्रमांक–1019 से 1027/[illegible] एलपी/93/29(1)/न.ग्रा.नि/जि.का/2014 भोपाल, दिनांक 16/06/2014

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है ग्राम–दामखेडा(कोलार रोड), तहसील–हुजूर, जिला–[illegible] 111/9 एवं 112/3 कुल रकबा 1.080 हेक्टेयर जिसका भूमि उपयोग भोपाल [illegible] [illegible] एवं मार्ग निर्दिष्ट है। जिस पर 1019 से 1027/एलपी/93/29(1)/न.ग्रा.नि [illegible] 16/06/2014 द्वारा विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। [illegible] आपत्ति आमंत्रित करने के आवेदन अधिनियम की धारा 29 (3) [illegible] मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14 (3) [illegible] समाचार पत्रों में निर्धारित प्रारूप में सूचना का प्रकाशन किया गया। सूचना के [illegible] [illegible] सूचना का दावा प्राप्त नहीं हुआ है। परीक्षणोपरांत बहु इकाई आवासीय ([illegible]) [illegible] हेतु भोपाल विकास योजना, 2005 एवं मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 [illegible] (1) एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) प्रावधानों अनुसार विकास अनुज्ञा [illegible] निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जा रही है :–

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन शुल्क रुपये 5000/– 5000/–चालान क–53 दिनॉक 01.10.2015 एवं चालान क–13 दिनॉक 18.11.2016 रुपये 5000/– भारतीय स्टेट बैंक भोपाल तथा विकास अनुज्ञा शुल्क रुपये 40,750/– चालान कमांक–000006 दिनांक 27.12.2016 सायबर ट्रेंजरी, भोपाल द्वारा जमा किये गये एवं अंतिम सत्यापन के अध्यधीन है यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परीलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि आपसे बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।
2. इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये [illegible] सीमांकन [illegible] सीमाओं) दिनांक 12.08.2016 से प्रस्तुत खसरा मानचित्र में दर्शित [illegible] आधार पर [illegible]

Signature valid
Digitally signed by [illegible]
Date: [illegible]

PHOTOCOPY ATTESTED
18 SEP 2017
[illegible] MAY 2017